"2020 की पहली ऑनलाईन लोक अदालत में 81 वर्षीय वृद्धा को पुत्र से मिला भरण–पोषण"

पारिवारिक न्यायालय, अलवर में भरण–पोषण प्राप्त करने हेतु यह प्रकरण पेश हुआ। इस प्रकरण में 73 वर्षीय वृद्ध प्रार्थिया द्वारा अपने पति व पुत्र के विरूद्ध धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत दिनांक 30.07.2012 को भरण–पोषण की राशि दिलाने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया था, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 16.11.2015 को अन्तरिम भरण–पोषण पर एकपक्षीय आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश की पालना नहीं होने पर अनुपालना हेतु प्रार्थना–पत्र न्यायालय में पेश किया गया, लगभग 05 वर्ष बीत जाने के पश्चात् भी प्रकरण में कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आ रहा था। प्रकरण को दिनांक 22.08.2020 को आयोजित ऑनलाईन लोक अदालत में रैफर किया गया एवं दोनों पक्षों के मध्य वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाईन समझौता वार्ता करवायी गई, जिसके फलस्वरूप प्रार्थिया को उसके पुत्र द्वारा 31.08.2020 तक देय समस्त भरण–पोषण की राशि कुल 2,42,500/– रूपये अदा की। इस प्रकार ऑनलाईन लोक अदालत दिनांक 22.08.2020 में 81 वर्षीय वयोवृद्ध महिला के प्रकरण का राजीनामा करवाकर लोक अदालत की भावना से निस्तारण किया गया।

"पति–पत्नी व बेटियाँ हुए एक साथ"

यह प्रकरण पारिवारिक न्यायालय, बांसवाड़ा में भरण–पोषण प्राप्त करने हेतु पेश हुआ। प्रार्थिया और अप्रार्थी का निकाह वर्ष 2011 में हुआ। निकाह से पक्षकारान् के दो पुत्रियों का जन्म हुआ। पक्षकारान् के मध्य वैचारिक मतभेद होने से वर्ष 2018 से दोनों अलग रहने लगे थे। पत्नि ने स्वयं के लिए तथा उनके दोनों पुत्रियों के लिए भरण–पोषण प्राप्त करने हेतु पारिवारिक न्यायालय में मुकदमा दर्ज करवाया। दिनांक 22.08.2020 को आयोजित ऑनलाईन लोक अदालत में प्रकरण रैफर किया गया एवं जिसमें प्रार्थिया एवं अप्रार्थी के मध्य वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाईन समझौता वार्ता करवायी गयी। दोनों को मनमुटाव समाप्त कर साथ रहने के लिए समझाया गया। काफी प्रयास करने के बाद दोनों साथ रहने को राजी हुए एवं ऑनलाईन लोक अदालत के माध्यम से 02 वर्षों से अलग–अलग रह रहे पति–पत्नि को साथ जीवन निर्वाह के लिए खुशी–खुशी घर भेजा गया। इस प्रकार ऑनलाईन लोक अदालत दिनांक 22.08.2020 में उक्त प्रकरण का राजीनामा करवाकर लोक अदालत की भावना से निस्तारण किया गया।

" पति की मृत्यु होने पर 50 लाख से अधिक राशि का क्लेम पारित "

प्रार्थिया के पति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर प्रार्थिया एवं बच्चों की ओर से इंश्योरेन्स कम्पनी के विरूद्ध क्लेम हेतु मुकदमा बारां न्यायालय में पेश किया गया। उक्त प्रकरण को दिनांक 22.08.2020 को आयोजित ऑनलाईन लोक अदालत में रैफर किया गया एवं जिसमें प्रार्थिया एवं इंश्योरेन्स कम्पनी के मध्य वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाईन समझौता वार्ता करवायी गयी। जिसके फलस्वरूप उक्त प्रकरण में 50 लाख 75 हजार रूपए की क्लेम राशि पर पक्षकारान् के मध्य सहमति बनी एवं प्रकरण में राजीनामा करवाकर ऑनलाईन लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण किया गया।

" 10 साल पुराना दीवानी दावा ऑनलाईन सुनवायी से निपटा "

न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 03, भीलवाड़ा में दिनांक 22.08.2020 को निस्तारित एक प्रकरण में दो पक्षों के मध्य एक वादग्रस्त सम्पत्ति को लेकर उत्पन्न हुए 10 साल पुराने विवाद का निपटारा किया गया। वादी पक्ष द्वारा वर्ष 2010 में प्रतिवादी पक्ष के विरूद्ध दावा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। लगभग 10 वर्ष की दीर्घकालिक अवधि तक चले उक्त प्रकरण को दिनांक 22.08.2020 को आयोजित ऑनलाईन लोक अदालत में रैफर किया गया एवं जिसमें दोनो पक्षों के मध्य ऑनलाईन वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपसी समझाईश करवाकर राजीनामा कर लोक अदालत की भावना से सम्पत्ति के विभाजन का विवाद निपटाया गया।

" अटूट बंधन का संकल्प लेकर घर लौटा दम्पत्ती "

यह प्रकरण प्रार्थी द्वारा अपनी पत्नी के विरूद्ध दाम्पत्य सम्बन्धों की पुनःर्स्थापना हेतु धारा 09 हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, सोजत (पाली) में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थिया के मध्य वैचारिक मतभेद होने से विगत एक वर्ष से अलग रह रहे थे। अप्रार्थिया कुछ समय पश्चात् अपने पीहर चली गयी। अप्रार्थिया द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। प्रकरण को दिनांक 22.08.2020 को आयोजित ऑनलाईन लोक अदालत में रैफर किया गया एवं जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थिया के मध्य वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाईन समझौता वार्ता करवायी गयी। दोनों को मनमुटाव समाप्त कर साथ रहने के लिए समझाया गया। अपने बच्चों के सुखद भविष्य हेतु समझाया गया, जिसके फलस्वरूप पति–पत्नि अपने बच्चों के सामने खूब रोये एवं भविष्य में कभी झगड़ा नहीं करने का संकल्प लिया। विगत एक वर्ष से अलग–अलग रह रहे पति–पत्नि को साथ जीवन निर्वाह के लिए न्यायालय में ही माला पहनाकर खुशी–खुशी घर भेजा गया। उनके बच्चों को अब माता–पिता का प्रेम व वात्सल्य प्राप्त हो सकेगा। इस प्रकार एक परिवार ऑनलाईन लोक अदालत के माध्यम से की गयी समझाईश के कारण टूटने से बच गया।